न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

(Bank Case)

प्रकरण संख्या – 121 / 2021
GCMS NO – 2021/256

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, रजिस्टर्ड कार्यालय– आई.सी.आई.सी.आई. बैंक टावर, चाकली सर्किल के पास, पुराना पाडरा रोड, वडोदरा–39007, गुजरात एवं कॉपरेट कार्यालय– आई.सी.आई.सी.आई. टावर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई– 40051 में स्थित व कार्यरत है जिसकी क्षेत्रीय कार्यालय–प्रथम तल एरोड्राम सर्किल, कोटा –324007 में स्थित व कार्यरत है जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश शर्मा।

– प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1- देवेन्द्र कुमार सक्सेना पुत्र श्री गिरधर गोपाल (ऋणी / बंधककर्ता)
पता– प्लाट नं. 42 व 43, पंचशील कॉलोनी, कुन्हाडी कोटा राजस्थान–324008
दूसरा पता– 43, स्टोन एरिया, सुभाष नगर पंचवटी कॉलोनी, कोटा राजस्थान–324008

2– श्री आदर्श सक्सेना पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार सक्सेना (सहऋणी)
पता– प्लाट नं. 42 व 43, पंचशील कॉलोनी, कुन्हाडी कोटा राजस्थान–324008
दूसरा पता– 43, स्टोन एरिया, सुभाष नगर पंचवटी कॉलोनी, कोटा राजस्थान–324008

3– श्री सत्य प्रिय सक्सेना पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार सक्सेना (सहऋणी / बंधककर्ता)
पता–43, स्टोन एरिया, सुभाष नगर पंचवटी कॉलोनी, कोटा राजस्थान– 324008
दूसरा पता–प्लाट नं.42 व 43, पंचशील कॉलोनी,कुन्हाडी कोटा राजस्थान–324008
तीसरा पता–ए–402, संसद विहार, प्लाट नं. 2, सेक्टर 3, द्वारका, नई दिल्ली 110075
चौथ पता– –ए–402, संसद विहार, प्लाट नं. 2, डीपीएस मटीला के पास, सेक्टर न एनएसआईटी, द्वारका दक्षिण जे. पश्चिम नई दिल्ली–110078

4– श्रीमती सुमन सक्सेना (सहऋणी)
पता– प्लाट नं. 42 व 43, पंचशील कॉलोनी, कुन्हाडी कोटा राजस्थान–324008
दूसरा पता–43, स्टोन एरिया,सुभाष नगर पंचवटी कॉलोनी,कोटा राज0– 324008

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 17-11-.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी " आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, रजिस्टर्ड कार्यालय– आई.सी.आई.सी.आई. बैंक टावर, चाकली सर्किल के पास, पुराना पाडरा रोड, वडोदरा–39007, गुजरात एवं कॉपरेट कार्यालय– आई.सी.आई.सी.आई. टावर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई– 40051 में स्थित व कार्यरत है जिसकी क्षेत्रीय

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

से अप्रार्थीगण ने
कार्यालय–प्रथम तल एरोड्राम सर्किल, कोटा –324007 में स्थित है,
प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 28.02.2017 को 15,00,000/–(अक्षरे पन्द्रह लाख रूपये
मात्र), दिनांक 28.02.2017 को 84,00,000/– (अक्षरे चौरासी लाख रूपये) एवं दिनांक
06.03.2017 को 3,04,594/– रूपये (अक्षरे तीन लाख चार हजार पांच सो चोरानवें
रूपये) कुल 1,02,04,594/– रूपये (अक्षरे एक करोड़ दो लाख चार हजार पांच सो
चौरानवे रूपये) का ऋण लिया था । अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान
हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री सत्य प्रिय सक्सेना पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार सक्सेना की**
अचल सम्पत्ति प्लाट नं.42, पंचशील कॉलोनी, कुन्हाडी, कोटा राजस्थान–324008 में
स्थित हैं, जिसमें भूमि, भवन व ढ़ांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल
क्षेत्रफल 216.66 स्क्वायर यार्ड है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं– उत्तर– प्लाट संख्या– 41,
दक्षिण– प्लाट संख्या 43, पूर्व– रोड, पश्चिम– प्लाट संख्या 25 ए है, को प्रार्थी
वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी
का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व
डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 31.03.2019
को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 14,64,380/– (अक्षरे चोदह
लाख चोसठ हजार तीन सो अस्सी रूपये मात्र), 81,41,818/–(अक्षरे इक्यासी लाख
इकतालीस हजार आठ सो अठारह रूपये एवं 3,01,413/–(अक्षरे तीन लाख एक हजार
चार सो तेरह रूपये मात्र) कुल 99,07,611/– रूपये (अक्षरे नन्यावे लाख सात हजार
छः सौ ग्यारह रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 18.06.2019 तक शेष देय है व आगे
की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है
। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक
18.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस
प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा
बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय
संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते
मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये
पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित
तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि
मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक
18.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस
प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित
सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने
का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का
अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक
18.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस
प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है।
अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets
and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना
पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **श्री सत्य प्रिय सक्सेना पुत्र श्री देवेन्द्र**
कुमार सक्सेना की अचल सम्पत्ति प्लाट नं.42, पंचशील कॉलोनी, कुन्हाडी, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

राजस्थान–324008 में स्थित हैं, जिसमें भूमि, भवन व ढ़ांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 216.66 स्क्वायर यार्ड है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं– उत्तर– प्लाट संख्या– 41, दक्षिण– प्लाट संख्या 43, पूर्व– रोड, पश्चिम– प्लाट संख्या 25 ए है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेंश आज दिनांक 17-11-.2021 को सुनाया गया ।

17/11/21

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)